न्यायालय चन्द्रभान सिंह भाटी, आरएएस, कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 27/2018

1– विजय रामदेव पुत्र रूघाराम जाति कुम्हार निवासी मण्डाल चारनान हाल आबाद आनंद सागर कुंऐ के पीछे, भीनासर बीकानेर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर

— अपीलांट

बनाम

1	आसकरण	पिसरान रूघराम जाति कुम्हार निवासी मण्डाल चारनान हाल आबाद आनंद सागर कुंऐ के पीछे भीनसर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर
2	दानमल	
3	गोपालकृष्ण	

–स्पोडेन्टस

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्र सिंह भाटी
2. श्री रविराज सिंह रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3
3. पैरोकारराज

–: निर्णय :–

दिनांक :– 27–5–2019

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन तहसीलदार राजस्व कोलायत हाल उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा दिनांक 9.2.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.10.18 को प्रस्तुत की गई।

संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट के पिता श्री रूगाराम पुत्र खेमाराम के नाम ग्राम मण्डाल चारनान मे ख0न0 84/3 मीन मे 25–10 बीघा तथा खसरा न0 109/38 मीन मे 25 बीघा कुल 50–10 बीघा खातेदारी कृषि भूमि हैं।

अपीलांट के पिता रूगाराम का देहान्त होने पर नामांतरण सं0 593 खोला गया जिसमे अपीलांट के सही दस्तावेजी नाम विजयराज के स्थान पर घरू नाम नेमाराम दर्ज कर दिया गया तथा वारिस प्रमाण पत्र मे अपीलांट का सही नाम विजयरामदेव के स्थान पर नेमाराम अंकित कर दिया गया हैं जिससे नामांतरणकरण सं0 593 कानून व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलाधीन इंतकाल सं0 593 भर जाने से तहसीलदार भू.अ. कोलायत ने प्रार्थना पत्र के साथ लगे दस्तावेज वारिस प्रमाण पत्र को सही मानकर सरसरी तौर पर ही इंतकाल को तस्दीक कर दिया जो रिकार्ड के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं। इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार भूअ कोलायत ने अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया तथा तमाम कार्यवाही सरसर बालाबला ही की गई जो निरस्त योग्य हैं।

इस अपील प्रार्थना पत्र के रेस्पोडेन्ट को नोटिस भिजवाया गया। अपीलार्थी की ओर से श्री रामंचद्र सिह भाटी एडवोकेट ने अपने अभिभाषक पत्र दाखिल किये व रेस्पोडेन्ट सं 1, 2 व 3 की ओर से श्री रविराज सिंह एडवोकेट उपस्थित आयें।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट स0 1 से 3 ने बताया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नही है। अपीलान्ट एडवोकेड ने फार्म न0 3 मे अपीलान्ट के नाम सम्बन्धी दस्तावेजात प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया साथ ही बहस पर मनन किया। निश्चित तौर पर अपील तहसीलदार राजस्व कोलायत हाल उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15–10–2018 को प्रस्तुत की गई है जो काफी देरीना है क्योंकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की मियाद कानून में 30 दिवस निर्धारित की हुई है। मियाद के सम्बन्ध मे कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। न्यायहित मे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि इन्तकाल स0 593 दिनांक 9.1.2.2004 ग्राम मण्डाल चारनान् त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन निर्देशो के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि कि प्रकरण में मूल दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तथा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर विधिपूर्वक आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 27–5–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर